

पत्रांक / /आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि-अनुभाग/पत्रा0 03 /13-14/देहरादून।

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड  
(विधि-अनुभाग)

दिनांक:: देहरादून :: 25 अक्टूबर, 2013

समस्त डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर,  
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर,  
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 1196/2013/186(120)/XXVII(8)/2008 दिनांक 22.10.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियम-2005 की अनुसूची-IV में संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुये अवगत कराया गया है।(छायाप्रति संलग्न)

उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(पीयूष कुमार)

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

3387



पू0प0सं0 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर मुख्य सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रानगर, देहरादून।
- 3- अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अभिकरण, देहरादून/हल्द्वानी।
- 4- सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 5- एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/ कुमाऊँ जोन रुद्रपुर।
- 6- एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- 7- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर-निर्धारण अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 8- ज्वाइन्ट कमिश्नर(अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।
- 9- ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, /हरिद्वार/रुद्रपुर को इस निर्देश

के साथ प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- 10- श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर(क0नि0-3) देहरादून एवं Web-Information Officer को NIC एवं विभागीय Website पर Update करने हेतु।
- 11- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रुड़की को आगामी राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ।
- 12- आई0टी0-अनुभाग मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिसूचना स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को E-mail द्वारा प्रेषित कर दें।
- 13-Intavatt Info. Pvt. 4 फेयरी मैनर IInd Floor 13- आर0 सिंधुआ मार्ग मुम्बई-400001 महाराष्ट्र।
- 14-National Law House बी-2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड़, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 15-National Law and Management House 15/5 राजनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 16-Swastk Publication एस0ई-233, शास्त्री नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश।
- 17-Law Book Traders 10-नगर निगम कम्पाउण्ड केसरगन्ज रोड़ मेरठ उ0 प्र0।
- 18-डिप्टी कमिश्नर(उच्च न्या0 कार्य0) वाणिज्य कर, नैनीताल।
- 19-अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड सत्या इण्डस्ट्रीज, माहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
- 20-प्रान्तीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय क्वालिटी हार्डवेयर गांधी रोड़ देहरादून।
- 21-दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल नागलिया ऑटोमोबाईल त्यागी रोड़ देहरादून।
- 22- प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड, सर्वश्री दीवान ट्रेडिंग कम्पनी 81- मोती बाजार देहरादून।
- 23-The whole sale dealers Association 14- आढ़त बाजार देहरादून।
- 24- प्रान्तीय इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन 222/5 गांधी ग्राम देहरादून।
- 25- कार्यालय अधीक्षक/विधि-अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।
- 26- शोध अनुभाग/स्थापना- अनुभाग मुख्यालय हेतु।
- 27- समस्त अनुभाग अधिकारी/अनुभाग।

  
एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
मुख्यालय, उत्तराखण्ड।  


उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-8

सं० /2013/186(120)/XXVII(8)/2008

दिनांक:: देहरादून :: 22 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है:-  
अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड(उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) (अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005) की धारा 4 की उपधारा (4) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं० 1 वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-IV में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

संशोधन

अनुसूची-IV के क्रमांक 2 पर विद्यमान प्रविष्टि निम्नानुसार संशोधित कर दी जायेगी; अर्थात्-

क्रम सं०	ब्यौहारियों/व्यक्तियों का विवरण	कर मुक्ति		शर्तें, यदि कोई हो-
		कर मुक्ति का प्रकार	कर मुक्ति का सीमा	
(1)	(2)	3(क)	3(ख)	(4)
2.	सैन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सिस (सी०ए०पी०एफ०) कैंटीन को निम्नानुसार विनिर्दिष्ट माल से भिन्न माल की बिक्री या उनके द्वारा कय और बिक्री- (अ) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची-IV के क्रमांक 1 पर विनिर्दिष्ट वस्तुएं।	को बिक्री या उनके द्वारा कय और बिक्री	करमुक्त	शर्त यह है कि कमान्डिंग ऑफिसर से अनिम्न पद के किसी अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाय कि माल सैन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सिस (सी०ए०पी०एफ०)/ उनके भूतपूर्व सदस्यों को बेचे जाने के लिये है।

(राकेश शर्मा)

अपर मुख्य सचिव।

सं० 1196 /2013/186(120)/XXVII(8)/2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 4-सलाहकार 'कर', उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन०आई०सी०
- 6-गार्ड फाईल हेतु।

आवश्यक

कार्यवाही

अपर आयुक्त कर  
उत्तराखण्ड, देहरादून

आज्ञा से,

(सौजन्या)

अपर सचिव, वित्त।

8249  
25/10/13

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 1146 /2013/ 186(120)/XXVII(8)/2008 dated 22 October, 2013 for general information.

**Government of Uttarakhand**

**Finance Section-8**

**No. 1146/2013/ 186(120)/XXVII(8)/2008**

**Dehradun :: Dated: : 22 October, 2013**

**Notification**

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of The Uttarakhand (The Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005) (Act no. 27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable in the State of Uttarakhand), the Governor is pleased to make, with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette, the following amendment in schedule- IV of The Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005.

**Amendment**

In Schedule-IV, the existing entry at serial no. 2 shall be amended as follows; namely-

Sl. No	Description of Dealers/ persons	Exemption		Conditions, if any
		Kind of exemption	Extent of exemption	
1	2	3(a)	3(a)	
2	Sales to or purchase and sales by Central Armed Police Forces (CAPFs) Canteen of all goods, other than those specified below- (a) All goods specified in serial no. 1 of Schedule IV of Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005.	Sale to or purchase and Sales by -	Exempt	On condition that it is certified by an officer not below the rank of Commanding Officer that the goods are meant for being sold to members of the Central Armed Police Forces (CAPFs)/ their ex-personnel .

(Rakesh Sharma)

Additional Chief Secretary.